



जोधपुर
विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
जोधपुर

अ.अ./पी.पी.एस./अनु- एवं जांच/फा./प्रे० 1274 जोधपुर दिनांक 13-

—आदेश—

कृषि कनेक्शन के अतिरिक्त बढ़े हुए भार की "स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना"

समन्वय मंच की दिनांक 06.11 को सम्पन्न हुई 25वीं बैठक में लिये गये निर्णय की अनुपालना

की "स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना" 30 सितम्बर 2011 तक की अवधि के लिए निम्न प्रावधानों

ऐसे कृषक जो उसी कृषि पर दूसरी मोटर लगाकर भार वृद्धि करते हैं अथवा दूसरे खसरा/खेत/परिसर/मुरब्बा में ही, दूसरी मोटर चलाने के लिए भार बढ़ाते हैं उन्हें इस योजना का लाभ प्राप्त होगा।

इस स्वैच्छिक भार वृद्धि योजना के अन्तर्गत उन कृषि उपभोक्ताओं को जिनके कनेक्शन को एक वर्ष बढ़ाया है उनसे यदि विद्युत लोड बढ़ा हुआ पाया जावे तो उनसे कोई पैनल्टी राशि नहीं ली जाकर मरम्मत करवाकर लोड नियमित किया जावे।

जिन कृषि उपभोक्ताओं के कनेक्शन को एक वर्ष की अवधि नहीं हुई है वे भी उक्त योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें धरोहर राशि के अतिरिक्त रुपये 2500/- प्रति हॉर्स पावर (अतिरिक्त बढ़े भार पर) के अतिरिक्त यदि पद (3) में इंगित उपभोक्ता इस योजना का लाभ नहीं उठाते हैं, तो उक्त योजना की समाप्ति के बाद उनका लोड स्वीकृत लोड से अधिक पाए जाने पर ऐसे उपभोक्ताओं को प्रति एच.पी. रुपये (2500/-) 5000/- मात्र पैनल्टी जमा करनी होगी।

योजना अवधि में योजना का लाभ उठाने वाले कृषि उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक होने पर ट्रांसफार्मरों की मरम्मत एवं सव-रक्षण का खर्चा निगम द्वारा वहन किया जाएगा।

01.10.2011 को उपरान्त मासिक लोड जांच (Load Verification) के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। योजना का यथा सम्भव अधिक प्रचार प्रसार कर अधिक से अधिक आम उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

आदेश निदेशक मण्डल द्वारा सूचना वृत्ति के अधेक्षा में लागू किया जाता है।

आदेशानु

(डी.डी. जोधपुर)

अधीक्षण अभियन्ता

जोधपुर डिस्कॉम